पंजीयन क्रमांक 07/34/01/11974/14

# सकल जटिया समाज

## (जटिया, जाटव, मोची एवं बैरवा)

## मुख्यालय 597, 14/2 विकास नगर नीमच (म.प्र.)

# विधान

1. **प्रचलन**

1.1 नियम सकल जटिया समाज नियम **2014** कहलायेगें।

1.2 ये नियम संगठन के पंजीयन की तिथि से प्रचलन में आयेगें।

1.3 संगठन का नाम :– सकल जटिया समाज रहेगा।

1.4 इस विधान में संगठन शब्द का प्रयोग इसी संगठन के लिये किया गया समझा जावेगा।

2. **संगठन का पंजीयन कार्यालय**

2.1 सकल जटिया समाज का मुख्यालय नीमच तहसील नीमच जिला नीमच (म.प्र.) में स्थित रहेगा। कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत रहेगा।

2.2 प्रादेशिक कार्यकारिणी का मुख्यालय संबंधित प्रदेश में स्थित रहेगा।

2.3 जिला समितियों का मुख्यालय प्रदेशों के प्रत्येक जिला स्तर पर रहेगा।

3. **संगठन के उद्देश्य**

3.1 समाज के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक महिला पुरूष को को संगठन से परस्पर जोड़ना एवं सहयोग की भावना के लिये प्रेरित करना।

3.2 समाज के प्रत्येक परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा करना एवं शिक्षित करना एवं करवाना।

3.3 समाज के प्रत्येक परिवार के सदस्यों के व्यवसायिक, नैतिक, एवं बौध्दिक स्तर को ऊॅचा उठाना।

3.4 समाज के प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिये आदर्श आचरण संहिता बनाना एवं स्वप्रेरणा से पालन करवाना।

3.5 केंद्रिय शासन एवं राज्य शासन से मिलने वाली समस्त प्रकार की सहायता योग्यता के आधार पर उपलब्ध करवाने में मदद करना।

3.6 प्रादेशिक एवं अन्तर्राज्यीय संघो से पारस्परिक सहयोग एवं संबंध स्थापित करना एवं नैतिक समर्थन जुटाना तथा प्रदान करना।

4. महासभा के प्रबंध विनियमों द्वारा महासभा के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी निकाय को सौपा गया है। जिसके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है।

| क्र. | नाम पिता/पति का नाम | पद | पूर्ण पता | धन्धा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बालचन्द पिता श्री रामाजी वर्मा (मेर) | राष्ट्रिय अध्यक्ष | 597, 14/2 विकास नगर नीमच म.प्र. | सेवानिवृत्त |
| 2 | कन्हैयालाल पिता श्री काशीरामजी जौनवाल | राष्ट्रिय महासचिव | अम्बेडकर कॉलोनी मनासा जिला नीमच म.प्र. | सेवानिवृत्त |
| 3 | इन्दरमल पिता श्री पी.सी. जाटव | कोषाध्यक्ष | 7, मेघनगर मन्दसौर म.प्र. | नौकरी |
| 4 | कन्हैयालाल पिता पंवार (रमण्डवार) | राष्ट्रिय उपाध्यक्ष | | सेवानिवृत्त |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | कुमारी दिव्या पिता श्री रमेशचन्द्र जौनवाल | राष्ट्रिय उपाध्यक्ष | अम्बेडकर कॉलोनी मनासा जिला नीमच म.प्र. | अशासकीय शिक्षिका |
| 6 | नारायणलाल पिता श्री रामलाल जटिया | सहसचिव | भॅवरमाता रोड़ छोटीसादड़ी राज. | नौकरी |
| 7 | | प्रचारमंत्री | | |
| 8 | कुमारी रसना वर्मा (मेर) श्री बालचन्द वर्मा (मेर) | सहसचिव | स्कीम नम्बर 34 मकान नं. 192 नीमच म.प्र. | बेरोजगार |
| 9 | रामलाल पिता धुराजी मालवीय (बेंतड़ा) | संगठन सचिव | ग्राम पोस्ट पालसोड़ा तह. व जिला नीमच (म.प्र.) | नौकरी |
| 10 | संतोष पिता मांगीलालजी जटिया (खोलवाल) | सहसचिव | 207, पाल्या रोड़ नागदा (जं.) जिला उज्जैन (म.प्र.) | एल.आई.सी. अभिकर्ता |
| 11 | मुकेश वाणवार पिता रमेशजी वाणवार | अंकेक्षक | संजय हिल्स मन्दसौर (म.प्र.) | बैंक व्ययसाय |
| 12 | गोपीलाल पिता श्री केलारामजी मालवीय (बेंतड़ा) | सदस्य | ग्राम पोस्ट पालसोड़ा तह. व जिला नीमच (म.प्र.) | सेवानिवृत्त |
| 13 | नारायणलाल पिता श्री नाथुजी जटिया (भियाणिया) | सदस्य | ग्राम पोस्ट बेलारा तह. मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.) | कृषक |
| 14 | नाथूलाल पिता श्री सवाजी जटिया (बड़ोदिया) | सदस्य | ग्राम पोस्ट अर्निया जटिया तह. मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.) | कृषक |
| 15 | चम्पालाल पिता श्री मोहनलालजी आकोदिया | सदस्य | ग्राम पोस्ट सावन तह. व जिला नीमच (म.प्र.) | कृषक |
| 16 | रमेश पिता श्री भेरूलालजी जटिया | सदस्य | रामपुरा दरवाजा मनासा जिला नीमच (म.प्र.) | सामाजिक कार्यकर्ता |
| 17 | रोश्नलाल पिता श्री काशीरामजी जटिया | सदस्य | ग्राम पोस्ट भोपालगंज तह. व जिला नीमच (म.प्र.) | नौकरी |
| 18 | चांदमल पिता श्री मोहनलालजी जटिया | सदस्य | एल.आई.जी. इंदिरा नगर नीमच (म.प्र.) | टेलर |
| 19 | गिरधारीलाल पिता ख्यालीरामजी जटिया | सदस्य | ग्राम पोस्ट मिण्डलाखेड़ा तह. मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म.प्र.) | कृषक |
| 20 | श्रीमति लक्ष्मी पति श्री कन्हैयालालजी जटिया | सदस्य | 3, बंगला नम्बर 32 नीमच (म.प्र.) | मजदूरी |
| 21 | सुरेश जटिया पिता श्री पुनमचन्दजी जटिया | सदस्य | रेगर मोहल्ला छोटीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ राज. | मजदूरी |
| 22 | श्री बंशीलाल पिता श्री रामचन्द्रजी जटिया | सदस्य | बेंगनपुरा जावद जिला नीमच (म.प्र.) | |
| 23 | श्रीमति कलावती पति श्री बालचन्द वर्मा (मेर) | सदस्य | स्कीम नम्बर 34 मकान नं. 192 नीमच म.प्र. | गृहिणी |

## 6. सदस्यता

6.1 महासभा का सदस्य वह व्यक्ति ही होगा जो जटिया समाज का होगा एवं 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा। (महिला एवं पुरूष)

6.2 वह व्यक्ति जो महासभा के नियमो का पालन करेगा तथा नियमों में विश्वास रखेगा।

6.3 पागल होने या न्यायालय द्वारा दोषी करार दिये जाने की दशा में अयोग्य होगा।

6.4 सद्चरित्र एवं मद्यपान न करने वाला ही होगा।

6.5 सदस्यता तीन प्रकार की होगी।

6.5.1. संस्थापक सदस्य जो रू.. 5000.00 (पांच हजार) सदस्यता षुल्क जमा करावेगा। यह व्यक्ति ही संस्थापक सदस्य कहलायेगा। तथा अध्यक्ष एवं महासचिव के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

6.5.2. आजीवन सदस्य जो रू. 1000.00 (एक हजार) सदस्यता शुल्क जमा करावेगा। यह व्यक्ति आजीवन सदस्य कहलायेगा। तथा अध्यक्ष एवं महासचिव के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

6.5.3. साधारण सदस्य जो रू. 20.00 (बीस) प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क निर्धारित समय सीमा में जमा करावेगा। वार्षिक शुल्क 1 जुलाई से 30 जून होगा।

6.6. सदस्यता शुल्क एकत्र करने का दायित्व प्रादेशिक एवं जिला कार्यकारिणी का रहेगा।

## 7. सदस्यता की समाप्ति

7.1 संघ की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो सकेगी, किन्तु सभी प्रकरणों में संघ की प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

7.1.1 सदस्य की मृत्यु होने पर।

7.1.2 पागल होने पर।

7.1.3 महासभा की रकम का गबन या जमा न करने पर।

7.1.4 महासभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने एवं स्वीकार होने पर।

7.1.5 प्रादेशिक कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता समाप्ति पर।

7.1.6 महासभा के उद्देश्यों के प्रतिकुल एवं संघ के विपरित किये गये कार्यों पर।

7.1.7 सदस्यता समाप्ति के बाद सदस्य का जमा शुल्क पर वापसी के संबंध में कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहेगा।

## 8. सदस्यता पंजी

8.1 महासभा के मुख्यालय में सभी प्रकार के सदस्यों की एक पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज रहेगे।

8.1.1 सदस्य का नाम, पद, व्ययसाय, आदि एवं सदस्यता का प्रकार।

8.1.2 चन्दा जमा करने के उपरान्त प्राप्त सदस्यता शुल्क।

8.1.3 जिस दिनांक को प्रवेश दिया गया।

8.1.4 दिनांक जिससे सदस्यता समाप्ति की गई।

## 9. संगठन

9.1 अखिल भारतीय स्तर की एक कार्यकारिणी।

9.2 प्रादेशिक स्तर की कार्यकारिणी।

9.2 महासभा को सुव्यवस्थित एवं सही तरीके से संचालित करने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एक कार्यकारिणी कार्य करेगी।

10. **अखिल भारतीय, प्रादेशिक एवं जिला कार्यकारिणी का गठन।**

10.1 अखिल भारतीय कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होगें।

10.1.1 अखिल भारतीय अध्यक्ष।

10.1.2 अखिल भारतीय उपाध्यक्ष 2 पद। जिसमें से एक पद महिला उपाध्यक्ष का होगा

10.1.3 अखिल भारतीय महासचिव ।

10.1.4 कोषाध्यक्ष।

10.1.5 अंकेक्षक।

10.1.6 सहसचिव 3 पद। जिसमें से एक पद महिला सहसचिव का होगा।

10.1.7 प्रचारमंत्री

10.1.8 संगठन सचिव

10.1.9 सदस्य 12।

10.2. प्रादेशिक कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होगें।

10.2.1 प्रादेशिक अध्यक्ष।

10.2.2 प्रादेशिक उपाध्यक्ष।

10.2.3 महासचिव।

10.2.4 सहसचिव।

10.2.5 प्रचार मंत्री।

10.2.6 कोषाध्यक्ष।

10.2.7 सदस्य 9।

10.3. जिला कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होंगे।

10.3.1 जिला अध्यक्ष

10.3.2 कोषाध्यक्ष

10.3.3 सचिव

10.3.4 सदस्य 8।

10.4 समय समय पर साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पद बढ़ाये एवं घटाये जा सकेगें।

11. **अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी के कर्तव्य एवं अधिकार**

11.1. सामान्य सभा द्वारा सामुहिक रूप से लिये गये निर्णयों के प्रति उत्तरदायी होगी।

11.2. शासन स्तर एवं सदस्यों के सभी हितों एवं वैयक्तिक प्रकरणों को प्रस्तुत करेगी। तथा शासन स्तर पर गठित विभिन्न गतिविधियों में महासभा का प्रतिनिधित्व करेगी।

11.3. अपने उद्देश्यों के अनुकूल गठित विभिन्न महासंघों में महासभा का प्रतिनिधित्व करेगी।

11.4. महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला समितियों का गठन करेगी।

11.5. महासभा के उद्देश्यों हेतु सदैव तत्पर रहेगी।

11.6. महासभा के उद्देश्यों के विरूध्द जिला समितियों के कार्यों के कारण जिला समितियों को भंग करने का अधिकार होगा। तथा तदर्थ समिति का गठन कर सकेगी।

11.7. सदस्यों के हित में नियम एवं संशोधन अखिल भारतीय जटिया महासभा की साधारण सभा की बैठक में रख कर पारित करवायेगी।

11.8. जिला समितियों के कर्तव्य एवं अधिकार।

11.9. जिला समिति द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक सदस्य बनाना।

11.10. जिला स्तर पर किसी सदस्य के हित में शासन या किसी भी संस्था से पत्राचार कर निदान करवाना।

11.11. जिला स्तर पर प्राप्त किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय प्राप्त होने पर प्रादेशिक कार्यकारिणी को प्रेषित करते हुए, अन्तिम निर्णय अखिल भारतीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी में पारित करवाना।

11.12. जिला स्तर पर प्राप्त शिकायत यदि जिला स्तर पर नहीं निपटाई जा सके। उसको प्रादेशिक कार्यकारिणी या अखिल भारतीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी के पास भेज कर निर्णय करवाना।

11.13. जिला स्तर पर लिये गये निर्णय/की गई कार्यवाही का विवरण शिघ्र प्रादेशिक एवं अखिल भारतीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी को प्रेषित करना।

## 12. पदाधिकारीयों के कर्तव्य एवं अधिकार।

12.1. अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं प्रदेशाध्यक्ष

12.1.1. संगठन का प्रमुख एवं समस्त प्रकार की होने वाली गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होगा।

12.1.2. संगठन की होने वाली समस्त बैठकों एवं अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

12.1.3. महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित सभी समितियो का अध्यक्ष होगा।

12.1.4. महासभा की प्रगति तथा सुरक्षा के प्रति कटिबध्द होगा।

12.1.5. महासभा के हित में शासन से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेगा।

12.1.6. महासभा की ओर से सभी न्यायालयीन कार्यो के लिये उत्तरदायी होगा एवं समस्त दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

12.2. **उपाध्यक्ष।**

12.2.1. अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं प्रदेशाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार के उत्तरदायीत्वों का निर्वहन करेगा। एक उपाध्यक्ष पद महिला प्रकोष्ठ प्रभारी का होगा।

12.2.2. अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त कार्यों में सहभागी बनकर महासभा को मदद करेगा।

### 12.3. महासचिव

12.3.1. यह महासभा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के निर्णयानुसार कार्य करेगा।

12.3.2. यह महासभा की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करेगा एवं सुरक्षित रखेगा।

12.3.3. यह महासभा एवं समस्त प्रादेशिक एवं जिला समितियों की गतिविधियों पर सुचारू रूप से कार्य करने के लिये नियन्त्रण रखेगा।

12.3.4. यह समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों तथा प्रादेशिक या जिला कार्यकारिणी की ओर से प्राप्त होने वाले पत्रों के माध्यम से प्राप्त सुझावों को संकलित कर अंतिम निर्णय हेतु पटल पर रखेगा।

12.3.5. यह महासभा को सुदृढ़ और सक्रिय रखने के लिये सदैव तत्पर रहेगा।

12.3.6. यह प्रत्येक प्रादेशिक व जिला कार्यकारिणी के वार्षिक कार्य, निर्वाचन विवरण एवं सदस्यता का विवरण नियमित रूप से मंगवायेगा।

12.3.7. यह अखिल भारतीय अध्यक्ष से परामर्श कर सामान्य अधिवेशन और कार्यकारिणी की बैठकों के विवरण को लिपीबध्द करेगा एवं उसको समस्त प्रादेशिक व जिला कार्यकारिणी को प्रेषित करेगा।

12.3.8. अखिल भारतीय अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत करने पर अपने हस्ताक्षर से शासकीय विभागों से पत्राचार कर सकेगा।

12.3.9 वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर वार्षिक अधिवेशन में रख स्वीकृत करायेगा।

### 13. सहसचिव

13.1. महासचिव की अनुपस्थिति में उसका स्थानापन्न होगा।
13.2. महासचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा।

### 14. प्रचारमंत्री

14.1. यह महासभा की गतिविधियों को प्रेस रजिस्टार द्वारा समाचार पत्र अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भेजे जाने वाले वार्षिक विवरण भेजने के लिये उत्तरदायी होगा।
14.2. कार्यकारिणी के द्वारा लिये गये निर्णयों के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित करेगा। गोपनीय कार्यवाही को छोड़कर।
14.3. महासभा के उद्देशों की पूर्ति हेतु प्रकाशित होने वाली सामग्री का सम्पादन करेगा।

### 15. अंकेक्षक

यह महासभा के लेखे का वार्षिक अंकेक्षण कर आगामी होने वाली कार्यकारिणी के बैठक में अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेगा।

### 16. कोषाध्यक्ष

16.1 यह समस्त आय महासभा द्वारा निर्धारित/अधिकृत रसीद द्वारा प्राप्त करेगा एवं कार्यकारिणी के निर्देशानुसार संयुक्त नामों से नियत कोषालय में जमा/आहरित करेगा।
16.2 यह महासभा के आय/व्यय का लेखा निर्धारित विधि से रखेगा। एवं छः माही विवरण होने वाली आगामी साधारण महासभा की बैठक में रखेगा। जो अंकेक्षक द्वारा अनुमोदित होगी।
16.3 यह स्वीकृत आय/व्यय के प्रतिकूल अधिक व्यय नहीं करेगा। एवं नहीं होने देगा।
16.4 यह प्रत्येक वर्ष आय/व्यय का ब्योरा सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करेगा।
16.5 यह प्रादेशिक एवं जिला कार्यकारिणी के आय/व्यय का ब्यौरा भी रखवायेगा एवं जांचेगा।

### 17. पदाधिकारियों की योग्यता

17.1 अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदाधिकारी कम से कम उपाधि/अधिकारी स्तर का होना आवश्यक है।
17.2 जिला कार्यकारिणी के लिये कम से कम हायर सेकेण्डरी होना आवश्यक है।
17.3 सदस्यों के लिये कोई योग्यता आवश्यक नहीं है।
17.4 अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कार्यकारिणी के पदाधिकारी संस्थापक/आजीवन सदस्यों मे से ही निर्वाचित किये जावेगे।

### 18. निर्वाचन

18.1 निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति सरंक्षक परिषद द्वारा की जावेगी।
18.2 अखिल भारतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन साधारण महासभा की बैठक में होगें।
18.3 प्रादेशिक कार्यकारिणी का निर्वाचन संबंधित प्रदेश की साधारण महासभा की बैठक में होगें।
18.4 अखिल भारतीय, प्रादेशिक एवं जिला कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
18.5 महासभा का प्रथम निर्वाचन महासभा के पंजीयन के तीन माह के भीतर साधारण सभा की बैठक में विधिवत सम्पन्न होगा।
18.6 प्रादेशिक कार्यकारिणी के निर्वाचन अखिल भारतीय पदाधिकारियों के सानिध्य में सम्पन्न होगें।
18.7 इसी प्रकार जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन प्रादेशिक कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी के सानिध्य में सम्पन्न होगें।
18.8 विवाद की स्थिति में शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में निर्वाचन सम्पन्न होगें।

18.9 निर्वाचन में वह सदस्य ही भाग ले सकेगा, जिसका विधिवत सदस्यता शुल्क जमा होगा।

18.10 सदस्यता संबंधि विवाद संरक्षक परिषद द्वारा निपटाया जावेगा।

18.11 निवृतमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी निर्वाचित कार्यकारिणी के सम्माननीय सदस्य के रूप में मनोनित समझे जावेगे एवं बैठक में भाग ले सकेगें।

18.12 अखिल भारतीय, प्रादेशिक एवं जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन के समय कोई भी सदस्य मद्यपान करके हिस्सा नहीं ले पायेगा। तथा अयोग्य घोषित माना जावेगा।

18.13 अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं महासचिव, प्रादेशिक अध्यक्ष एवं महासचिव के निर्वाचन हेतु आवेदन लिये जावेगें। जिसमें 2 सदस्य नाम प्रस्तावित करेंगें। एवं 2 ही सदस्य समर्थन करेंगें। तब ही आवेदन वैध माना जावेगा। जिसमें नाम पिता का नाम व अन्य समस्त जानकारी होगी।

18.14 अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं प्रादेशिक अध्यक्ष द्वारा कार्यकाल के पूर्व त्याग पत्र या मृत्यु की दशा में क्रमशः अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं प्रादेशिक उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। इसी प्रकार महासचिव का कार्य सहसचिव करेंगें। जब तक पुनः निर्वाचन नहीं हो जावे।

18.15 अखिल भारतीय अध्यक्ष, प्रादेशिक अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासचिव, प्रादेशिक महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों के निर्वाचन के पूर्व सभी उम्मीदवारों को रू. 500.00 (रू. पांच सौ) के मान से महासभा के खाते में जमाकर निर्वाचन फार्म के साथ रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। हार या जीत की दशा में राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

18.16 महासभा के जिलाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र या मृत्यु की दशा में प्रादेशिक अध्यक्ष या महासचिव द्वारा जिलाध्यक्ष का मनोनयन किया जा सकेगा।

18.17 अखिल भारतीय अध्यक्ष, प्रादेशिक अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासचिव, प्रादेशिक महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के पदों के अतिरिक्त सभी पदों की नियुक्ति मनोनयन द्वारा की जा सकेगी।

18.18 सरंक्षक परिषद आवश्यकता पड़ने पर मनोनयन भी कर सकेगी।

**महासभा के अधिवेशन**

19.1 महासभा के सामान्य अधिवेशन वर्ष में एक बार होगें। जिसमें नीतिगत निर्णय या आवश्यक मसोदे पर चर्चा इत्यादि की जा सकेगी।

19.2 अखिल भारतीय कार्यकारिणी के बैठकें वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें प्राप्त समस्त शिकायत, सुझाव या अन्य प्राप्त बिन्दुओं पर चर्चा होगी।

**20. आर्थिक**

20.1 महासभा की समस्त आय धारा 3 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति पर ही व्यय की जा सकेगी। तथा उसका कोई भी भाग लाभांश के रूप में सदस्यों में वितरित नहीं किया जा सकेगा।

20.2 प्रत्येक प्रादेशिक कार्यकारिणी वार्षिक सदस्यता शुल्क प्राप्ति का 50 प्रतिशत शुल्क अखिल भारतीय महासभा के खातें में जमा करावेगी। आजीवन सदस्यता शुल्क एवं सरंक्षक सदस्यता शुल्क पुरा ही अखिल भारतीय महासभा के खाते में होगा।

20.3 महासभा अपने सामान्य एवं विशिष्ट सदस्यों से दान संग्रह भी कर सकेगा। जो स्वेच्छानुदान होगा।

20.4 किसी भी प्रकार का धन महासभा द्वारा निर्धारित रसीद बुक द्वारा ही प्राप्त किया जा सकेगा।

20.5 कोषागार से किसी भी तीन अधिकृत व्यक्तियों में से दो के हस्ताक्षर से आहरण किया जा सकेगा।

20.6 अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं प्रादेशिक अध्यक्ष को क्रमशः एक बार में रू. 10000.00 (रू दस हजार) व 5000.00 (रू. पांच हजार) से अधिक का व्यय करने का अधिकार नहीं होगा। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी की आपात बैठक में अनुमोदन करा सकेगा।

20.7 अन्य पदाधिकारीयों के लिये सामान्य सभा में निर्णय लिया जावेगा।

**21. सामान्य**

21.1 महासभा का समस्त कार्य यथासंभव देवनागरी हिन्दी भाषा में ही होगा।

21.2 महासभा का व्यवहार वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होगा।

21.3 महासभा के नियमावलि के अतिरिक्त तथ्यों के ध्यान में आने के बाद वह सामान्य अधिवेशन मे निर्णय उपरान्त नियमावली में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

21.4 इस महासभा के संबंध में पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी मध्यप्रदेश को वह समस्त अधिकार होंगें जो उन्हें मध्यप्रदेश संस्था एवं समिति पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदान किये गये है।

21.5 इस नियमावली में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषित शब्द पुर्वानुसार प्रयुक्त अर्थों में ही समझे जावेगे।

21.6 संस्थापक सदस्यों की एक परिषद होगी, जो संरक्षक परिषद के नाम से जानी जावेगी। जिसके समक्ष समस्त विवादित मामले प्रस्तुत किये जावेंगें। संरक्षक परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी सदस्यों पर बंधनकारी होगा। कोई भी विवादित प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जावेगें।